रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 345] **नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 31, 2013/पौष 10, 1935**

No. 345] **NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 31, 2013/PAUSHA 10, 1935**

ओडिशा ग्राम्य बैंक

(प्रधान कार्यालय)

अधिसूचना

भुवने वर, 3 जुलाई, 2013

सं. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21).—प्रादेि ाक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए ओडि ाा ग्राम्य बैंक का निदे ाक मंडल इण्डियन ओवरसीज बैंक जो कि प्रायोजक बैंक और राश्ट्रीय कृशि और ग्रामीण विकास बैंक से पराम र्ा कर के और केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से, एतद्द्वारा ओडि ाा ग्राम्य बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी सेवा विनियमावली, 2010 को सं ाोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता हैं :—

1. (1) इन विनियमावलियों को ओडि ाा ग्राम्य बैंक सेवा संभोधन विनियमावली, 2013 कहा जाएगा ।
   (2) वे सरकारी राजपत्र में अपने प्रका ान की तारिख से प्रवृत्त होगें ।

2. ओडि ाा ग्राम्य बैंक (अधिकारी एवं कर्मचारी) सेवा विनियमावली, 2013 (विनियमावली के प्रका ान का वर्श) (जिसे इसके प चात् उक्त विनियमावली कहा जाएगा) के विनियम 2 में खण्ड (छ) के लिए उप–विनियम (1) में निम्नलिखित खंण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :--(छ) सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य हैं :—

   (i) स्केल-III, IV और V के अधिकारी के संबंध में अध्यक्ष

   (ii) स्केल-I और II के संबंध में महाप्रबंधक, और

   (iii) समूह 'ख' कार्यालय सहायक (बहुद्दे ीय) और समूह 'ग' कार्यालय परिचारक (बहुद्दे ीय) जैसे कर्मचारीयों के संबंध में निदे ाक मंडल द्वारा यथा निर्धारित अधिकारी जो स्केल-IV के स्तर से कम न हो ।

5498 GI/2014 (1)

3. उक्त विनियमावली के लिए विनियम 50 में खण्ड (i) और (ii) के लिए निम्नलिखित खण्डों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :—

(i) निदे ाक मंडल, जहां अध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी है;

(ii) अध्यक्ष, जहां महाप्रबंधक सक्षम प्राधिकारी है; और

(iii) महाप्रबंधक, जहां सक्षम प्राधिकारी का निर्णय विनियम 2 के उप–विनियम (1) के खण्ड (छ) के उप–खण्ड (iii) के अंतर्गत निदे ाक मंडल द्वारा किया जाता हैं ।

डा. के. सी. मोहान्ती, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/70/13]

पाद टिप्पणी : दिनांक 13 – 19 नवम्बर, 2010 की अधिसूचना सं. 46 के तहत प्रकाि ात प्रधान विनियमावली ।

ODISHA GRAMYA BANK

(HEAD OFFICE)

NOTIFICATION

Bhubaneswar, the 3rd July, 2013

No. Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).—In exercise of powers conferred by section 30 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Board of Directors of ODISHA GRAMYA BANK after consultation with Indian Overseas Bank being the Sponsor Bank and the National Bank for Agriculture and Rural Development and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to amend the Odisha Gramya Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2010, namely :—

1. (1) These regulations may be called Odisha Gramya Bank Service (Amendment) Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Odisha Gramya Bank (Officers and Employees) Service Regulations, 2013 (hereinafter referred to as the said regulations) in sub-regulation (1), for clause (g), the following clause shall be substituted, namely:—

(g) "Competent Authority" means,—

"(i) the Chairman in respect of Officer Scale-III, IV and V;

(ii) the General Manager in respect of Officer Scale-I and II; and

(iii) an officer not below the rank of Scale-IV in respect of employees relating to Group 'B' Office Assistant (Multipurpose) and Group 'C' Office Attendant (Multipurpose) as decided by the Board";

3. In regulation 50 of the said regulations, for clauses (i) and (ii), the following clauses shall be substituted, namely :—

"(i) the Board, where the Chairman is Competent Authority;

(ii) the Chairman, where the General Manager is Competent Authority; and

(iii) the General Manager, where the Competent Authority is decided by the Board under sub-clause (iii) of clause (g) of sub-regulation (1) of regulation 2."

Dr. K. C. MOHANTY, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./70/13]

Foot note : The Principal Regulations published vide Notification No. 46 dated 13-19 November, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.